

राज्य शासन ने 15 नवीन शासकीय महाविद्यालय स्थापना को दी स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

20 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य शासन ने 2023-24 मुख्य मद में किये गए प्रावधानों के तहत प्रदेश में 15 नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना के लिये स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा में दिये गए बजट भाषण में की गई घोषणा को अमल में लाते हुए छत्तीसगढ़ के दूरस्थ इलाकों सहित अन्य जगहों में कॉलेज की स्थापना के लिये राज्य शासन द्वारा स्वीकृति दी गई है।
- इसके साथ ही स्वीकृत प्रती महाविद्यालय के लिये 33 पदों के मान से 495 पदों के सृजन की स्वीकृति के साथ ही कक्षाएँ प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है।
- राज्य शासन के द्वारा स्वीकृत नवीन महाविद्यालय के नाम-
 - नवीन शासकीय महाविद्यालय मरदापाल, विकासखंड कौंडागांव, जिला कौंडागांव;
 - नवीन शासकीय महाविद्यालय, जेवरतला, विकासखंड डौंडीलोहरा, जिला बालोद;
 - नवीन शासकीय महाविद्यालय, चलिहाटी, विकासखंड अंबागढ़ चौकी, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी;
 - नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी;
 - नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, जिला गरियाबंद;
 - नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, जिला गौरेला-पेंडरा-मरवाही;
 - नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई;
 - नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, जिला मनेंद्रगढ़-चरिमरि-भरतपुर;
 - नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, जिला सारंगढ़-बलिाईगढ़;
 - नवीन शासकीय महाविद्यालय कुंडा विकासखंड पंडरिया, जिला कबीरधाम;
 - नवीन शासकीय महाविद्यालय केरा विकासखंड नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा;
 - नवीन शासकीय महाविद्यालय अर्जुनी, विकासखंड डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव;
 - नवीन शासकीय महाविद्यालय अमलीडीह रायपुर, जिला रायपुर;
 - नवीन शासकीय महाविद्यालय माना कैंप रायपुर, जिला रायपुर;
 - नवीन शासकीय महाविद्यालय अकलतरी विकासखंड बलिहा, जिला बलियापुर।